



कार्यालय अधिकारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक ७४० /१ सी०

सेवा में,

दिनांक २५ - मार्च 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:

जनपद-अल्मोड़ा में कठपुड़िया-कलोड़िया(कतुनिया) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.536 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No-FP/UK/ROAD/16999/2015)

सन्दर्भ:
महोदय,

भारत सरकार का पत्र संख्या ०८बी/य०सी०पी०/०६/२६२/२०१६/एफ०सी०/२१६२ दिनांक 27.01.2021

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:-

क्रम सं०	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि(निजी भूमि) अधिग्रहित कर लिया गया है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	प्रतिपूरक वनीकरण: क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1072 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव @ CA rate for 1.998 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) मा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	3. शर्त संख्या-3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु 3,61,461.00 (तीन लाख एकसठ हजार चार सौ एकसठ मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं० 3)। शेष शर्त आपके प्रभाग से संबंधित है।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	शर्त संख्या-3(ख) आपके प्रभाग से संबंधित है।

4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लाग वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)</p>
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 / 1998-एफ0सी0 (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2 / 2006-एफ0सी0 दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3 / 2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.999 हो वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>5. शर्त संख्या-5(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु 4,52,920.00(छ: चार लाख बावन हजार नौ सौ बीस) की धनराशि उत्तराँचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं० 5)।</p>
	<p>ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>शर्त संख्या-5(ख) के अनुपालन में एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है(संलग्नक नं० 4)।</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 66 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में 157 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)</p>
7	<p>परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।</p>	<p>7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रु 8,14,381.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं० 3)।</p>

8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	10. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	9. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	10. शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	11. शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	12. शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	13. शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	14. शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा। विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	15. शर्त संख्या-15 के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	16. शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	17. शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	18. शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	19. शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	20. शर्त संख्या-20 के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।	21. शर्त संख्या-21 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	22. शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	23. शर्त संख्या-23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

(5)

24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	24. शर्त संख्या-24 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
----	---	---

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न—उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।

मवदीय,

०।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

पत्रांक:- ७५० /७८०

तददिनांक २५/३/२२

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

Rai

✓

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

✓

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि(निजी भूमि) अधिग्रहित कर लिया गया है।

Shiv
सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

Om
अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

१

AGENCY COPY

यूनियन बङ्क  **Union Bank**
of India
भारतीय अधिकारी बङ्क

Challan for collection of GAMPA fund

Date : 17-02-2022

Client Code.	GAM8089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
PIF/Application No.	6116888279
MoEF/BG File No.	BB/UCP/06/262/2016/PG
Address.	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No.	
Email Id.	sepdalmore@rediffmail.com
Mobile No.	7833877888
Landline No.	6982-2320033
Amount(in Rs)	814381/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words: Eight Lakh Fourteen Thousand Three
Hundred and Eighty-One Rupees Only

(Signature) *(Signature)*

Bank Official (Signature)

UNION BANK OF INDIA

Bank's Transaction Number 814381	Branch Stamp
-------------------------------------	--------------

Instructions:

- Branches should use CMB menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may

Note: After making the required payment through challan, then kindly mail a copy of your challan with transaction details to the following Email: epurse@unionbankofindia.com

Rajesh

AA

AA 720784

ठाथा प्रति संस्थापित

fi

सदाचार अभियान
भारतीय खण्ड, लो०निं०वि०
अल्मोड़ा

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लोनियो,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लोनियो,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।

B.W.
सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वी०,
अल्मोड़ा।

R.M.
अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वी०,
अल्मोड़ा।



बिन्दु सं.....6

बदनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 157 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

सहायक आमयता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिकारी अमयता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गार्डलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अमियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अमियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्वाचित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिकारी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सङ्क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि�0वि0,
अल्मोड़ा।



अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि�0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

८३

Dw
सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।


सहायक अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड, लोनिविठी,
अल्मोड़ा।


अधिकारी अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड, लोनिविठी,
अल्मोड़ा।

बद्धनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए इन सेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

सहायक अभियान,
प्रान्तीय समूह, लो०गो०वि०
अस्सी।

अधिशासी अभियान,
प्रान्तीय समूह, लो०गो०वि०
अस्सी।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

लाल
~

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-६८ दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

८५

Sri
सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

Om
अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।


 सहायक अभियंता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।


 अधिशासी अभियंता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0.....23

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति ली जायेगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिकारी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

bij

८५
७


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया-कलोडिया मोटर मार्ग का निर्माण

Scale 1:20000



Legend :-

 Ca Area(2.00 ha)Bilori RF compartment No 4

वन विभाग
आधिकारी
सोमेश्वर
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Gaurav
9/15

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उष्ण वन प्रभाग, अल्मोड़ा


सहायक प्रभियंता,
शास्त्रीय वनप्प, लो० नि�० वि०
अल्मोड़ा।

अधिकारी अभियंता
वनप्प, लो० नि�० वि०
अल्मोड़ा

प्रबालीय वनाधिकारी
वनप्पेष्ठा वन प्रभाग अभियंता

जनपद अल्मोड़ा में करठपुड़िया-कलोडिया मोटर मार्ग का निर्माण

Scale 1:20000



Legend :-

- GPS

Ca Area(2.00 ha)Bilori RF compartment No 4

सहायक अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड, लो. फै. फै.
अधिकारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि�० वि�०

अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
वन अधिकारी अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा
सोमेश्वर
अल्मोड़ा वन प्रभाग

परियोजना का विवरण:- जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया से कलोडिया तक मोटर मार्ग
वृक्षारोपण स्थल का नाम- बिलौरी आरक्षित वन कक्ष सं 4 (2.00 है) सोमेश्वर वन क्षेत्र
रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या 1072 पौधे

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (₹)	गोम
1	सर्व एवं सीमांकन	2.000	147.00	294.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.000	887.00	1774.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग) 84 घन मी० प्रति है० X 2.00	168.00	घन मी० 478.00	80304.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधिक	2.000	11700.00	23400.00
5	गढ़डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	1072	पौध 11.14	11942.08
6	निरीक्षण बटिया बनाना	2.000	737.00	1474.00
7	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	1072	पौध 8.70	9326.40
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	2.000	400.00	800.00
9	अन्य कार्य	2.000	30000.00	60000.00
	योग प्रथम चरण -			189314.48

द्वितीय चरण

1	गढ़डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1072	पौध 1.75	1876.00
2	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	1072	पौध 1.75	1876.00
3	पौध दुलान कार्य	1072	पौध 9.70	10398.40
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	1072	पौध 3.13	3355.36
5	निराई, गुडाई व मलिंग (दो बार)	1072	पौध 1.15	1232.80
6	खाद व दवा पर व्यय	2.000	है० 352.00	704.00
7	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (8 माह)	2	है० 7235	14470.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्तगत			
	8.1 सूखे घास एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	2.000	350.00	700.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/धेरबाद के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	2.000	है० 225.00	450.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है० 400.00	800.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्य क्षेत्रारोपण के समय वर्ष के बचने पॉलीथीन सीट क्य वर्ष गों दो तीन बार फोटोग्राफी फोल्ड स्तरीय कार्यों को प्रवास-प्रसार एवं डेव्यूमेटेशन आदि कार्य	2.000	है० 700.00	1400.00
10	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है० 25000.00	50000.00
	योग द्वितीय चरण -			87262.56
	योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -			276577.04

वृक्षारोपण तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	तृतीय वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है० 4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	2.000	है० 350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.000	है० 225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है० 400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है० 500.00	1000.00
	योग- (तृतीय वर्ष रख रखाव)			11150.00

कृषारोपण चंडुर्थे वर्ष का रख-रखाव						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चंडुर्थे वर्ष अनुकूलण कार्य		2,000	₹0	4100.00	8200.00
2	2.1 कृषारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना प्रति ₹0		2,000	₹0	350.00	700.00
	2.2 सुख्खा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		2,000	₹0	225.00	450.00
	2.3 कृषारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुख्खा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुख्खा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्ताहन देना		2,000	₹0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मूदा एवं जल संखाण कार्य)		2,000	₹0	500.00	1000.00
	योग:- (वर्तमान वर्ष रख-रखाव)					11150.00

वृक्षारोपण पत्रम् वर्तम् का रख-रखाव					
1	रोपण वर्तम् के उपरान्त पांचवें वर्तम् अनुसंधान कार्य	2.000	है०	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धारा फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	2.000	है०	350.00	700.00
	2.2 सुख्खा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.000	है०	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से सामान्यित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुख्खा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुख्खा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है०	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(भूदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है०	500.00	1000.00
	योग:- (पांचवें वर्तम् रख रखाव)				11150.00

वृक्षारोपण छठे वर्ष का रख-रखाव					
संख्या	वर्णन	छठे वर्ष	अनुरक्षण कार्य	वर्तमान	वर्तमान कीमत
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष अनुरक्षण कार्य	2,000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	2,000	है0	350.00	700.00
2.2	सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2,000	है0	225.00	450.00
2.3	वृक्षारोपण से सामनित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	2,000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2,000	है0	500.00	1000.00
	योग:- (छठे वर्ष रख रखाव)				11150.00

वृक्षारोपण सातवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी सफ़ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योग:- (सातवें वर्ष रख रखाव)				11150.00

वृक्षारोपण आठवें वर्ष का रख-रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है	2.000	है	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी। पट्टी साफ करना	2.000	है	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्रिम सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्रिम सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है	500.00	1000.00
	योग:- (आठवें वर्ष रख रखाव)				11150.00

वृक्षारोपण नवं वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है०	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	2.000	है०	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.000	है०	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को आगि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है०	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है०	500.00	1000.00
	योग:- (नवम वर्ष रख रखाव)				11150.00

वृक्षारोपण दसवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है०	2200.00	4400.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	2.000	है०	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.000	है०	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को आगि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है०	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है०	242.00	484.00
	योग:- (दसवें वर्ष रख रखाव)				6834.00
			कुल योग		361461.0

G. A₄
 वन अधिकारी
 सोमेश्वर
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप वन अधिकारी
 अल्मोड़ा उच्च वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
 अल्मोड़ा वन प्रभाग

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया से कलोड़िया तक मोटर मार्ग

का
४१

क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित विलौरी आरक्षित कक्ष सं0 4 की 2.00 है0 (सोमेश्वर वन क्षेत्र) आरक्षित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

G. A. १०६
वन दरोगा,

वन क्षेत्र प्रबंधिकारी
सोमेश्वर
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रबंधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

प्रमाणीय वनप्रबंधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया से कलोड़िया तक मोटर मार्ग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित बिलौरी आरक्षित कक्ष सं04 की 2.00 है0 (सोमेश्वर वन क्षेत्र) आरक्षित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

G An
वन दरोगा,

वन क्षेत्र अधिकारी
वन प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग से अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा